कृषि पशुपालन, एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
कार्यालय– जिला कृषि पदाधिकारी,पाकुड़

पता–जिला संयुक्त कृषि भवन,प्रखण्ड परिसर,पाकुड
email id- districtagriculturepakur@gmail.com

(नियुक्ति सूचना–01/2026–27)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सचिव ,कृषि ,पशुपालन ,एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, रॉची के राज्यादेश –03 दिनांक 23.05. 2026, कृषि निदेशक झारखण्ड, रॉची के ज्ञापांक 1909 दिनांक 23.04.2026 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 1517 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु पाकुड़ जिला अन्तर्गत प्रत्येक पी0पी0सी0 (Plant Protection Center) में स्वीकृत पदों के विरूध मानदेय/पारिश्रमिक आधारित मानव बल/पौधा संरक्षण कर्मियों हेतु फसल रक्षक (पदनाम– कामदार) की रिक्ति के विरूध दैनिक मजदुरी पर रखा जाना है।

चयन प्रकिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों , जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

अभ्यार्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्ताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते है।

समान्य विवरण

क्र0सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1.	फसल रक्षक	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महिना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो)	11851/– रूपये मात्र

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थानीयकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

रिक्तियों का विवरण

क्र0सं0	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
1.	UR	ST	
	03	03	06

नोटः– 1. रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
2. पदों का कोटीवार विवरण पाकुड़ जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

अनिवार्य योग्यता :

i. मान्यता प्राप्त शैक्षिणक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।
ii. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि एवं उ़द्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।
iii. स्थानीय भाषा की जानकारी।
iv. साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।
v. पाकुड जिला अन्तर्गत स्थानीय निवासी अनिवार्य।

उम्र सीमा – न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी, जो विभिन्न श्रेणियों हेतु सरकार द्वारा समय –समय पर निर्धारित हो।

नोटः– अधिक जानकारी हेतु pakur.nic.in और आत्मा (atmapakur.co.in) के वेवसाईट एवं जिला कृषि पदाधिकारी,पाकुड़ के सूचना पट पर उपलब्ध है।

आवेदन करने की तिथि– 02.10.2026 से 16.10.2026 अपराह्न 5.00 बजे तक (स्वंय उपस्थित होकर या डाक द्वारा)
आवेदन समर्पित करने का पता– जिला कृषि कार्यालय, संयुक्त कृषि भवन, प्रखण्ड परिसर, पाकुड़ ,पिन कोड–816107

01/10/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
पाकुड़।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
विज्ञापन–सह–विवरणिका
राँची जिलान्तर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु
विज्ञापन संख्या : 01 /2026-27
दिनांक : 01.10.2026

1. **प्रस्तावना**

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यो को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से **फसल रक्षक** के पद पर मानदेय के आधार पर चयन किया जाना हैं।

इस विज्ञापन के माध्यम से पाकुड़ जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्थित पौधा संरक्षण केन्दों में कार्य करने हेतु कुल 06 **फसल** रक्षक का चयन मानदेय के आधार पर किया जाएगा। जिसका विवरणी निम्नवत् हैः–

i. पौधा संरक्षण केन्द्र,पाकुड़।
ii. पौधा संरक्षण केन्द्र ,हिरणपुर।
iii. पौधा संरक्षण केन्द्र, महेशपुर।
iv. पौधा सरंक्षण केन्द्र, लिट्टीपाड़ा।
v. पौधा संरक्षण केन्द्र, अमड़ापाडा।
vi. पौधा संरक्षण केन्द्र, पाकुड़िया।

चयन प्रकिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला–स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तो के आधीन संपन्न होगी।
अभ्यार्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयुसीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।

2. **सामान्य विवरण**

कम0 सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मसिम मानदेय
01	फसल रक्षक	मनदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महिना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो)	11851/– रूपये मात्र

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. **रिक्तियों का विवरण**

कम0 सं0	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
	UR	ST	
01	03	03	06

नोट : 1. रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं।

2. पदों का कोटीवार विवरण पाकुड़ जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर हैं।

4. **अनिवार्य योग्यता :**

i मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण ।

ii कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 5

दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।

iii स्थानीय भाषा की जानकारी।

iv साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता ।

v पाकुड़ जिला का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

5. **फसल रक्षक का कार्य :** फसल सर्वेक्षक, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6. **आयु सीमा : (30 सितम्बर 2026)**

मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु : 18 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा :

i	अनारक्षित (UR) एवं आर्थिक रूप से कमजो वर्ग (EWS)	35 वर्ष
ii	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–i) (EBC-I) पुरूष	37 वर्ष
iii	अनारक्षित (UR) ,आथिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC-I) (महिला)	38 वर्ष
iv	अनुसूचित जाती (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट : भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयुसीमा में पांच वर्षों की अतिक्त छुट दी जायेगी भूतपूर्व होने सम्बंधित प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **चयन प्रकिया एवं अंक–विभाजन**

प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी।

ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं हैं, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदन वाले अभयर्थियों का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो की कुल 100 अंको के आधार पर किया जाएगा।

विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	चयन घटक	मेधा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
01.	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र में दर्ज प्रतिशत। इंटरमीडिएट एवं स्नातक हेतु अतिरिक्त अंक।	10th का % x 0.5=---अधिकतम 50 12th का % x 0.1=--- अधिकतम 10 स्नातक का % x 0.1=--- अधिकतम 10) (अधिकतम =70)
02.	प्रशिक्षण	न्यूनतम एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण पश्चात अतिरिक्त प्रशिक्षण पर तदनुसार।	(प्रथम पॉच दिवसीय प्रशिक्षण =15 अतिरिक्त पॉच दिवसीय प्रति दिवसीय पर =5 x 1 (अधिकतम = 30)
	कुल अंक		100

नोटः– मेधा सूची निर्धारण में पॉच दिवसीय से कम के प्रशिक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु :

i. CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/ विश्वविधालय द्वारा निर्धारित conversion formula के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

ii. स्नाकोत्तर अथवा उससे उच्चतर योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेगे।

iii. एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेगे।

iv. प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।

v. केवल कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत कृषि एवं उद्यान निदेशालय, बिरसा कृषि विश्व विद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

vi. स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य पात्रता (Qualifying Criterion) होगा तथा इसके लिए कोई मेरिट अंक देय नहीं होगा। प्रारंभिक मेघा सूची तैयार होने तक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई भाषा संबंधी घोषणा सत्य मानी जाएगी। प्रारंभिक मेघा सूची में चयन योग्य अभ्यर्थियों तथा आवश्यक संख्या में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा पर्याप्त भाषा–प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो, तो कोई पृथक भाषा–परीक्षण नहीं लिया जाएगा। अन्यथा चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार भाषा–परीक्षण लिया जा सकेगा।

vii. **साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षमता** : फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना आवश्यक होगा। यदि चयन समिति को आवश्यक/उचित कारणों से इन क्षमताओं की जाँच करना आवश्यक प्रतीत हो, तो प्रारूपिक मेघा सूची तैयार हेने के पश्चात इनके संबंध में व्यावहारिक परीक्षण लिया जा सकता है। इस परीक्षण के लिए कोई मेरिट अंक देय नहीं होगा तथा परीक्षण में अपेक्षित क्षमता न पाए जाने पर अभ्यर्थी को अंतिम चयन हेतु अयोग्य माना जा सकेगा।

viii. यदि चयन प्रकिया के किसी भी चरण पर चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी को अभयर्थियों की पात्रता, योग्यता अथवा कार्य–दक्षता के समुचित आकलन हेतु लिखित अथवा मौखिक परीक्षा/परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसी परीक्षा/परीक्षण आयोजित किया जा सकता हैं।

ix. अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के **मूल प्रमाण– पत्रों का सत्यापन** किया जाएगा।

x. चरित्र प्रमाण–पत्र अंतिम रूप से चयनित/ औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

xi. अभ्यर्थी को आवेदन–प़त्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित (Self-attested)छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा–

1. मैट्रिक/10वीं का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
2. इंटरमीडिएट/10+2 का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र यदि उपलब्ध हो।
3. स्नातक का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र एवं अतिरिक्त प्रशिक्षण–पत्र, यदि कोई हो।
5. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हो।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध स्थानीय प्रमाण–पत्र।
7. जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
8. पाकुड़ जिला अन्तर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण प्रत्र।
9. EWS प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
10. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण–पत्र।
11. पहचान–पत्र

12. चरित्र प्रमाण–पत्र, तथा

13. अन्य कोई प्रमाण–पत्र, जो विज्ञापन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमामिणत छायाप्रमियाँ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा । मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

8. मेधा सूची एवं समान अंक होने पर प्राथमिकता निर्धारण (Tie-Breaking)

यदि दो या अधिक अभ्यार्थियों के कुल अंक समान हों, तो निम्न क्रम में अंतर–मेधा निर्धारित की जाएगी –

i. मैट्रिक में अधिक अंक/प्रतिशत।

ii. वैध स्थानीय भाषा दक्षता प्रमाण–पत्र।

iii. इंटरमीडिएट में अधिक अंक/प्रतिशत।

iv. स्नातक में अधिक अंक/प्रतिशत।

v. अधिक आयु।

8. चयन एवं योगदान

कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभियार्थियों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन/अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी है एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। पौधा संरक्षण केन्द्र/उप केन्द्र/प्रखंड के आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थानीय सम्बंधित प्रमाण–पत्र में अंकित निवास प्रखंड को प्राथमिकता एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया जाएगा परन्तु इस हेतु अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

9. स्थानीय निवासी एवं आरक्षण :

सभी अभ्यर्थीयों को सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीयों को सम्बंधित जाति/कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश

1. "आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।"
2. चयन प्रकिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति की देख–रेख में संपन्न होगी।
3. किसी भी चरण पर अभयर्थी की पात्रता एवं प्रमाण–पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती हैं।
4. गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमान–पत्र पाए जाने पर चयना के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कर्रवाई की जा सकती हैं।
5. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे।
6. चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
7. नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती हैं।

8. सक्षम प्राधिकारी को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल/PPC/Sub-PPC आवंटन अथवा चयन प्रकिया के किसी चरण में आवश्यक परिर्वतत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. सक्षम प्राधिकारी को अपरिहार्य/प्रशसनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रकिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दीकरण के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा।
11. आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
12. चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकृत माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।
13. अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का अवलोकन करते रहे।
14. चयन के संबंध में किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आश्वासन/दावे के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15. चयन प्रकिया से संबंधित शिकायत/अभ्यावेदन निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
16. फसल रक्षक को विभाग/सक्षम आधिकारी द्वारा समय–समय पर सौपे गए कार्यों का पालन करना होगा।

01/10/26
सदस्य सचिव, चयन समिति–सह–
कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी,
पाकुड़।

01/10/26
अध्यक्ष, चयन समिति–सह–
जिला कृषि पदाधिकारी
पाकुड़।

आवदेन पत्र स्वंय या डाक द्वारा समर्पित किया जा सकता है।
आवेदन हेतु पताः– जिला कृषि कार्यालय,संयुक्त कृषि भवन, प्रखण्ड परिसर,पाकुड,
पिन कोड–816107

आवेदन –पत्र

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

राँची जिला अंतर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र

विज्ञापन संख्या :../2026

दिनांक :..

निर्देश : अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरे तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।

---

1 अभ्यर्थी का विवरण

1 अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)

....

पासपोर्ट आकार का हाल का स्व–अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

2. अभ्यर्थी का नाम (English मे)

....

3. पिता/माता/पति का नाम :

....

लिंग:

☐ पुरूष ☐ महिला ☐ अन्य

5. जन्म तिथि :

......../................/..................

6. आयु (आवेदन की अंतिम तिथि/निर्धारित कट–ऑफ तिथि के अनुसार):

वर्ष...................माह...............दिन

---

2. आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी विवरण

7. श्रेणी:

☐ UR ☐ST ☐SC ☐ EBC-I ☐EWS

9- क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं?

☐हाँ ☐नहीं

9. स्थानीय प्रमाण–पत्र के अनुसार जिला:

....

10. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रखंड:

....

11. स्थानीय भाष/भाषाओं के नाम:

....

12. क्या स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध है?

☐हाँ ☐नहीं

यदि हाँ, प्रमाण–पत्र का विवरण:

....

---

3. शैक्षिणिक योग्यता

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्रतिशत
मैट्रिक/10वीं					
इंटरमीडिएट/10+2					
स्नातक					

मैट्रिक में हिन्दी विषय के अंक (यदि लागू हो):

कुल अंक....................प्राप्त अंक..........................

4. प्रशिक्षण का विवरण

क्या कृषि एवं उद्यान निदेशालय/विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त है?

☐हाँ ☐नहीं

क्रम0 सं0	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण–पत्र संख्या/दिनांक
1.	अनिवार्य प्रशिक्षण (पांच दिवसीय)			
2.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
3.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			

4.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
5.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
6.	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			

5. अन्य आवश्यक जानकारी

क्या आप साइकिल चलाने में सक्षम है?

☐ हाँ ☐ नहीं

क्या आप पेड़ चढ़ने में सक्षम है?

☐ हाँ ☐ नहीं

आधार नंबर :

....

मोबाईल नंबर :

....

ई–मेल (यदि उपलब्ध हो)

....

पत्राचार का पता :

....

....

स्थायी पताः

....

....

6. वांछित कार्यस्थल/प्रखंड की प्राथमिकता

पदस्थापन हेतु प्राथमिकता (प्रखंड का नाम)

1

2

3

4

5

नोटः कार्यस्थल/प्रखंड का आवंटन विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों, उपलब्ध रिक्ति, आरक्षण, मेधा क्रम, स्थानीयता एवं प्रशासनिक एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकता को अंतिम आवंटन का अधिकार नहीं माना जाएगा।

---

7. संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची (छायाप्रति)

अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण–पत्रों के सामने लगाएंः

- ☐ 1. मैट्रिक/ 10वीं प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र
- ☐ 2. इंटरमीडिएट/10+2 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र, यदि उपलब्ध हो
- ☐ 3. स्नातक प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र, यदि उपलब्धहो
- ☐ 4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र
- ☐ 5. अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र,यदि कोई हो
- ☐ 6. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि उपलबध हो
- ☐ 7. वैध स्थानीय प्रमाण–पत्र
- ☐ 8. जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो
- ☐ 9. EWS प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो
- ☐ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
- ☐ 10. पहचान–पत्र की प्रति (आधार कार्ड/वोटर आई डी)
- ☐ 11. अन्य, यदि कोई होः...

चरित्र/ आचरण प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु अंतिम चयन/दस्तावेज सत्यापन/योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

---

8. घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैध हैं। यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र फर्जी/अमान्य पाया जाता है, तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती हैं।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थानः...

दिनांकः.......................................

N

अभ्यर्थी के हस्ताक्षरः.......................................

अभ्यर्थी का नामः...

केवल कार्यलय उपयोग हेतु

आवेदन प्राप्ति क्रमांकः...

आवेदन प्राप्ति दिनांकः..

पात्र/अपात्रः...

संवीक्षक के हस्ताक्षरः..

टिप्पणीः

....